

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तिनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद सं० 119 वर्ष 2025-26

आवेदक— किश्टो ठाकुर

क्रेता— नितेश कुमार

ग्राम— बड़की पुन्नु

ग्राम— बड़की पुन्नु

थाना— महुआटॉड

जिला—बोकारो

थाना— महुआटॉड

जिला—बोकारो

आदेश की क्र०सं० तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 03
--------------------------------	---------------------------------------	---

23/9/25

आदेश

यह वाद आवेदक—किश्टो ठाकुर, पिता—स्व० योधी ठाकुर, निवास ग्राम+पो०—बड़की पुन्नु, थाना—महुआटॉड, जिला—बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:—

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
बड़की पुन्नु	57	155	632	10 डी०	10 डी०	रैयती, टॉड तीन वर्तमान स्वरूप बारी

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 1,26,000/—(एक लाख छब्बीस हजार) रुपये में क्रेता—नितेश कुमार, पिता—अखिलेश ठाकुर, निवास ग्राम+पो०—बड़की पुन्नु, थाना—महुआटॉड, जिला—बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1707/रा०, दिनांक 06.09.2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक—1832, दिनांक—18.09.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:—

01. क्रेता एवं बिक्रेता दोनों जाति के नाई—हजाम है। जो अत्यंत पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्रेता एवं बिक्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला—बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में अमरीत दरजी के नाम से दर्ज है तथा सरकारी अभिलेख पंजी—II के पृष्ठ सं०—293, भौलुम सं०—12 पर किश्टो ठाकुर के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 1998-99 से 2025-26 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला है।
03. जमाबन्दीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध वंशावली के आधार पर दादा का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में है।
04. प्रस्तावित भूमि भू—हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में अमरीत दरजी के नाम से दर्ज है तथा सरकारी अभिलेख पंजी—II के पृष्ठ सं०—293, भौलुम सं०—12

पर किस्टो ठाकुर के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 1998-99 से 2025-26 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- केवाला की छायाप्रति है, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं उक्त अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता दोनों के नाई-हजाम है। जो अत्यंत पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों का ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है जो कब्जे में आधार पर हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक-किस्टो ठाकुर, पिता-स्व० योधी ठाकुर निवासी ग्राम+पो०-बड़की पुन्नु, थाना-महुआटाँड़, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि-

मौजा	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द० सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
बड़की पुन्नु 57	155	632	10 डी०	10 डी०	बिलटु ठाकुर	सैनाथ ठाकुर	नारायण प्रजापति	रास्ता वाके
कुल				10 डी० (दस डिसमिल जमीन मात्र)				

मौ० 1,26,000/- (एक लाख छब्बीस हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-नितेश कुमार, पिता-अखिलेश ठाकुर, निवास ग्राम+पो०-बड़की पुन्नु, थाना-महुआटाँड़, जिला-बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।